इटावा पुलिस

प्रेस नोट दिनांक 02.03.2024

#OPERATION CONVICTION

इटावा पुलिस की प्रभावी पैरवी के चलते दहेज के लिये पत्नी की हत्या करने वाले अभियुक्त को मा0 न्यायालय इटावा द्वारा सुनाई गयी 08 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा तथा 13,000/- रूपये का दिया गया अर्थदंड।

जनपद में अपराध व अपराधियों के विरुद्ध वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा श्री संजय कुमार द्वारा चलाये जा रहे अभियान के क्रम में एवं अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के नेतृत्व में थाना भरथना व मानीटरिंग / पैरवी सैल की प्रभावी पैरवी के चलते दहेज के लिये पत्नी की हत्या करने वाले अभियुक्त को मा0 न्यायालय इटावा द्वारा सुनाई गयी 08 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा तथा 13,000/- रूपये का अर्थदंड दिया गया।

संक्षिप्त विवरण:-

दिनांक 03.01.2019 को वादी सत्यपाल सिंह पुत्र अचम्भेलाल निवासी ग्राम शहाजहांपुर थाना जसवंतनगर द्वारा थाना भरथना पर वादी की पुत्री से दहेज मे 2,00,000/- रुपये की मांग करना व मांग पूरी न होने पर प्रताडित करना एवं हत्या कर देना के संबंध मे सूचना दी गयी जिसके संबंध मे थाना भरथना पर **मु0अ0सं0 4/19 धारा 498 A/304 B भादवि व धारा 3/4 डीपीएक्ट पंजीकृत किया गया।**

उक्त प्रकरण के सम्बन्ध में विवेचना अधिकारी क्षेत्राधिकारी भरथना द्वारा दौराने विवेचना साक्ष्य संकलन के आधार पर अभियुक्त के विरूद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय इटावा के समक्ष प्रस्तुत किया गया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा के निर्देशन में प्रकरण की प्रभावी पैरवी कराते हुए थाना भरथना पुलिस टीम पैरोकार का0 मनीष कसाना एवं मानीटरिंग सैल व ए0डी0जी0सी0 श्री तरुण कुमार शुक्ला द्वारा प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए समयानुसार समस्त गवाहों व अन्य साक्ष्यों को मा0 न्यायालय इटावा के समक्ष प्रस्तुत करते हुए प्रभावी एवं सख्त पैरवी की गयी। जिसके परिणामस्वरुप उक्त अभियोग से संबंधित अभियुक्त को **आज दिनांक 02.03.2024 को अन्तर्गत धारा 498 A/304 B भादवि व धारा 3/4 डीपीएक्ट में मा0 न्यायालय श्रीमान ADJ/FTC I इटावा द्वारा 8 वर्ष का सश्रम कारावास व 13,000/- रूपये का दिया गया अर्थदंड।**

सजायाफ्ता अपराधी-

1. **गोपाल यादव पुत्र स्व0 राजाराम निवासी मोतीगंज कस्बा व थाना भरथना जनपद इटावा।**